

## प्रेस-विज्ञप्ति

# आज से दीव के होटल, गेस्ट हाऊस और पेट्रोल पंपों के शौचालय आम-नागरिकों की सेवा के लिए खुलेंगे

**दीव सितंबर 30, 2019** : भारत सरकार के निर्देशों के मुताबिक 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान के मद्देनजर 01 अक्टूबर से दीव जिले के सभी होटल, गेस्ट हाऊस और पेट्रोल पंप के शौचालय आम नागरिकों के उपयोग हेतु खोले जाएंगे।

आज दीव के उप-समाहर्ता और उप-निदेशक (पर्यटन) ने परिपत्र जारी करते हुए दीव जिले के सभी होटल, गेस्ट हाऊस और पेट्रोल पंप मालिकों को निदेश दिया है कि वे अपने होटलों, गेस्ट-हाऊसों और पेट्रोल-पंपों पर बने शौचालयों को आम-शौचालय के रूप में घोषित करें। इन शौचालयों का उपयोग वे भी कर सकते हैं जो उस होटल, गेस्ट-हाऊस या पेट्रोल पंप के ग्राहक नहीं हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रतिदिन कई पर्यटक, आगंतुक घूमने या व्यक्तिगत कार्य से दीव आते हैं। शौचालयों की अनुपलब्धता की स्थिति में वे इधर-उधर शौच करके यत्र-तत्र गंदगी फैलाते हैं, जिससे एक ओर दीव का रमणीय पर्यटन स्थल गंदा होता है और दूसरी ओर बीमारियों के फैलने का खतरा भी बना रहता है। सार्वजनिक स्थलों पर बने होटलों, गेस्ट-हाऊस और पेट्रोल-पंपों के शौचालयों को आम-जनता के लिए मुहैया कराया जाए तो इस समस्या से निपटा जा सकता है।

दीव जिला प्रशासन ने माननीया समाहर्ता श्रीमती सलोनी राय के दिशा-निर्देश पर दीव के उप-समाहर्ता और उप-निदेशक (पर्यटन) ने होटलों, गेस्ट-हाऊसों और पेट्रोल पंप के मालिकों को निर्देश जारी करते हुए आज से अपने परिसर में स्थित शौचालयों को आम शौचालय के रूप में घोषित करने को कहा और इस अभिनव पहल का हिस्सा बनने के लिए अनुरोध किया है।